कार्यालय-शप

लिखित निष्ठानिग्रहित रिट पितीश्न सं-12893/2018 अशोक कुमार दुबे बनाम उप्र राज्य व अय्य में गा। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 06.07.2018 को निम्न आदेश पुस्तिका किये हैं:

"Furnishing complete particulars of the land which have been encroached and occupied by the State Government, its department and instrumentality either for road widening or for any other public purposes without purchasing or acquiring the land or without the consent of the land holders and at the same time would explain the method of determining the compensation payable in such cases."

इस कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र सं-241 कृपा-प्रोऑफिस / 03(मू-0)/18 दिन 29.05.2018 (क्षमा स्वरूप संबंध) द्वारा यह आदेश दिया गया कि किसी भी भवन, मार्ग एवं सेतु निर्माण में बिना भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य न किया जाये एवं यदि किसी निर्माणशील परियोजना में ऐसा कोई प्रक्रिया संज्ञान में आये, तो तत्परता उसके भूमि अधिग्रहण का आगामण बनाकर प्रस्तुत किया जाये। किसी भी क्षेत्र द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में बिना भूमि अधिग्रहण के या बिना भूस्वामी की लिखित सहमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

अपूर्ण उच्चार किया जाता है कि सर्वेक्षण में कोई भी आगामण विशेषता मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्तुत करते समय निम्न मार्ग पत्र को आगामण के साथ लगाया जाये, अन्यथा आगामण की स्थिति में आगामण यथार्थता से शासन को नहीं भेजा जायेगा। ग्रामीण मार्ग के निर्माण में भी वैदिक राज्य सरकार की भूमि पर या भूस्वामी की लिखित सहमति उपरात्त ही निर्माण कराया जाये। यदि भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त की जाती है तो उसको रिकार्ड में स्थान जाये।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यान्वयन हेतु प्रस्तित:
1. प्रमुख अभियात्ता (प्रमुख संडक) / (परिकल्प एवं नियोजन), लोगिनिविव, लखनऊ।
2. मुख्य अभियात्ता (मू-0)/सेतु, लोगिनिविव, लखनऊ।
3. समस्त वित्तीय मुख्य अभियात्ता, लोगिनिविव, लखनऊ।
4. समस्त अधीनस्त अभियात्ता/अधिशासी अभियात्ता, लोगिनिविव, उप्र (मैत्र हार्दा)।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियात्ता (विकास) विमानाधिकारी
प्रमाण पत्र

जनपद ........................................ में ............................................................... मार्ग,
जोकि ................................ श्रेणी का है, के चौड़ीकरण का आगाम चैनेज .................................... से चैनेज ..................................... तक गठित किया गया है। प्रस्तावित चैनेज में लोक निर्माण विभाग/राज्य सरकार की भूमि की चौड़ाई का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. लोक निर्माण विभाग की भूमि — ......................... मीटर (चौड़ाई)
2. राज्य सरकार की भूमि — ......................... मीटर (चौड़ाई)

यदि किसी विशेष परिस्थिति में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो निम्नानुसार प्रमाण पत्र निर्मित किया जाये।

प्रमाण पत्र

जनपद ........................................ में ............................................................... मार्ग,
जोकि ................................ श्रेणी का है, के किलोमीटर ................. से किलोमीटर .................
तक मार्ग के चौड़ीकरण का आगाम गठित किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के राज्य सरकार अभिलेखों के अनुसार औसतन चौड़ाई ......................... मीटर है। शेष .........................
मीटर चौड़ाई की भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसका विवरण चैनेजवार आगाम में अंकित है। भूमि अधिग्रहण में रु. .......................... करोड़ की आवश्यकता होगी।

हस्ताक्षर
(अधिशासी अभियंता)
........................................ खण्ड,
लो०निलोविल, ........................................

हस्ताक्षर
(अधीक्षण अभियंता)
........................................ वृत्त,
लो०निलोविल, ........................................
स्वागत के श्री

आप पूर्व से ही अवगत हैं कि किसी भी भवन, मार्ग एवं सेटू निर्माण में बिना भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शर्त इत्यादि के अनुसार यह प्रतिवेदन स्वीकृत होगा और जिसमें भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शर्त इत्यादि के अनुसार यह प्रतिवेदन स्वीकृत होगा और जिसमें भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शर्त इत्यादि के अनुसार यह प्रतिवेदन स्वीकृत होगा और जिसमें भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शर्त इत्यादि के अनुसार यह प्रतिवेदन स्वीकृत होगा और जिसमें भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शर्त इत्यादि के अनुसार यह प्रतिवेदन स्वीकृत होगा और जिसमें भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शर्त इत्यादि के अनुसार यह प्रतिवेदन स्वीकृत होगा और जिसमें भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

शर्त इत्यादि के अनुसार यह प्रतिवेदन स्वीकृत होगा और जिसमें भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।